न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0—89 सन् 2021

सुदामाचंद्र भूषण.........................वादी

बनाम

पृथ्वी चंद्र भूषण वो अन्य..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक— 23.03.2022

वादी की ओर से हाजिरी दी गई। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 25.11.2021 एवं 20.01.2022 को दाखिल संशोधन आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक 25.11.2021 को दाखिल आदेश 6 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी के खिलाफ वादी ने तकरारी सिडियुल नं0 01 अर्जीनालिश में 1/20 वो सिडियुल नं0 02 में 1/5 हिस्सा बांटकर अलग तख्ता कायम करने के लिए किया है। टंकक की गलती से कुछ जायदाद अर्जीनालिश के सिडियुल में टंकित होना छूट गया है तथा कुछ बैदार का नाम भी छूट गया है। वर्तमान बंटवारा वाद में सभी जायदाद को शामिल होना न्यायहित में जरूरी है। इस वाद के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः अर्जीदावी में संशोधन कर आवेदन में लिखित जायदादों को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। पुनः वादी की ओर से दिनांक 20.01.2022 को दाखिल संशोधन आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में कुछ जरूरी जमीनों का खाता सं0 एवं खेसरा सं0 वादी की जानकारी में नहीं होने के कारण छूट गया है। न्यायहित में इस बंटवारा वाद में उसे लाया जाना आवश्यक है। अतः सिडियुल नं0 1 में छूटे हुए जायदाद को न्यायहित में जोड़ने

की अनुमति वादी को प्रदान की जाए।

उपर्युक्त दोनों आवेदनों का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है। वर्तमान वाद में प्रतिवादीगण हाजिर नहीं हुए हैं।

वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित हाता है कि वर्तमान वाद प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु नियत चला आ रहा है। वर्तमान वाद में अभी विचारण प्रारंभ नहीं हुआ है। अतः वादी की ओर से उपर्युक्त दोनों संशोधन आवेदन कमशः दिनांक 25.11.2021 एवं 20.01.2022 को न्यायहित में 500/–रूपये खर्चा के साथ स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि नजारत में जमा कर आवेदन में लिखित तथ्यों को वादपत्र में संशोधित करें।

वाद दिनांक 06.04.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।